कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांकः– 3608

दिनांकः– 13/9/23

संशोधित कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के पत्र क्रमांक/स्था./2023/29534 दिनांक 12.09.2023 की अनुपालना में अलवर मुख्यालय पर राजस्थान सरकार द्वारा नव सृजित पुलिस थाने संचालित होने से नव सृजित आरक्षी केन्द्रों की परिसीमा के अन्तर्गत परकाम्य विलेख अधिनियम के तहत व्युत्पन्न होने वाले प्रकरणों के विधिवत विचारण एवं निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 3431 से 43 दिनांक 10.06.20215 में आंशिक संशोधन करते हुए दंड प्रकिया संहिता की धारा 15 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, अजीत कुड़ी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर कॉलम संख्या 2 में अंकित नव सृजित आरक्षी केन्द्रों का उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित न्यायालय का क्षेत्राधिकार आवंटित करता हूँः–

क्र0सं0	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायालय का नाम
1.	2.	
1.	1. विजय मंदिर पुलिस थाना, 2. बगड तिराया थाना के 24 गॉव (जिन गॉवों का फौजदारी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अलवर को है) 3.अकबरपुर थाना के 15 गॉव लिस्ट संलग्न है (जिन गॉवों का फौजदारी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अलवर को है)	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 1, अलवर
2.	वैशाली नगर थाना	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 2, अलवर

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगे।

भवदीय

Sd/-

(अजीत कुड़ी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

क्रमांक :– 3609-13

दिनांक :– 13/9/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. संबंधित न्यायालय एन0आई0एक्ट–1 अलवर व एन0आई0एक्ट नंबर–2, अलवर
3. संबंधित बार एसोसियेशन ,अलवर
4. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)
5. कार्यालय प्रति अध्यक्ष,

(अजीत कुड़ी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)